05-02-19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपा। प्राण्पत्र पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्राण्पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि बाड़गत खेत खसरा 961 ताडाडी 11 बीघा रोही ग्राम कस्बा चूरू की भूमि मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथ जी की है जो शाश्वत नाबालिग है। अप्रार्थी उक्त खेत से मिट्टी खोद कर बेच रहा है जिससे भूमि की उपजाऊ प्रकृति को नुकसान हो रहा है। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील के उपस्थित नहीं आया है। अतः इस प्राण्पत्र में जारी अन्तीम स्थगन आदेश दिनांक 10-03-2016 को ता फैसला दावा कन्फर्म किया जावे जिससे कि मन्दिर मूर्ति की भूमि की रक्षा हो सके। बहस सुनी जाकर पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 कस्बा चूरू के अवलोकन से जाहिर है कि बाड़गत खेत ख0 नं0 961 की भूमि मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथजी की खातेदारी भूमि है। प्राण्पत्र में अंकितानुसार अप्रार्थी उक्त भूमि से अवैध रूप से मिट्टी खनन करके भूमि की प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है जिसके लिए अप्रार्थी को अन्तीम स्थगन आदेश दिनांक 10-03-16 द्वारा पाबन्द किया जा चुका है तथा अप्रार्थी विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आया है तथा ना ही कोई जवाब पेश किया है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित होता है। इसलिए मन्दिर मूर्ति जी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शाश्वत नाबालिग है, की भूमि रक्षा हेतु ता० फैसला दावा अप्रार्थी को वर्जित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 RTA का स्वीकार किया जाकर पत्रावली में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 10-02-16 को ता फैसला दावा पुष्ट किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मिसल मूल दावा सं० 13/2016 के संलग्न रहे। (हस्ताक्षर)	